प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त

1. उप संचालक चकबन्दी,
2. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
3. चकबन्दी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 464 /जी0–415/2012–13 दिनांक 29 जनवरी, 2015

विषय–विनिमय अनुपात निर्धारण एवं चक निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–19 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करने से पूर्व कटक के गाटों के सही विनिमय अनुपात निर्धारण से प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का स्थल पर निर्विवाद क्रियान्वयन किया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु उ0प्र0 जोत चकबन्दी, मैनुअल के परिच्छेद–7 के प्रस्तर–126 से 154 में वृहद व्यवस्था प्रदत्त है।

परिच्छेद–7 के प्रस्तर–145 में व्यवस्था है कि **"चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निर्धारित विनिमय अनुपात की जांच प्राविधानों के अनुसार करें। जांच किये गये गाटों को खसरा संख्या चकबन्दी अधिकारी अपनी दिनचर्या बही में लिखेंगे। सभी अधिकारी जांच किये गये गाटों की सूची जिसमें पूर्व निर्धारित विनिमय अनुपात एवं परिवर्तित विनिमय अनुपात का स्पष्ट उल्लेख हो आकार पत्र–2क के पृथम पृष्ठ पर लिखें तथा अपने सदिनांक हस्ताक्षर करें। इस सूची के लिये आकार पत्र–2क के प्रथम चार पृष्ठ खाली रखें जायेंगे जो चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उप संचालक चकबन्दी व अन्य अधिकारियों की जांच के लिये यथेष्ट होंगे"।**

प्रस्तर–152क में व्यवस्था है कि **"सहायक चकबन्दी अधिकारी विनिमय अनुपात का निर्धारण चकबन्दी, मैनुअल के अनुच्छेद 126–152 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करें तथा चकबन्दी अधिकारी प्रभावी ढंग से जांच करें और जिन गाटों में चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिवर्तन किया जाये उन गाटों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण को आकार पत्र–2क में अंकित किया जाये। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी समय–समय पर स्थल निरीक्षण करें तथा जहां कोई कठिनाई हो उसके समाधान हेतु बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा विनिमय अनुपात की जांच की जाये तथा यदि आवश्यक हो तो गाटों के विनिमय अनुपात में परिवर्तन कर आकार पत्र–2क में उसका अंकन किया जाये"।**

इसी प्रकार उ0प्र0 जोत चकबन्दी, मैनुअल के परिच्छेद–13 में चक निर्माण के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तर–278घ (औ) में व्यवस्था है कि **"चकबन्दी अधिकारी इस बात की जांच करेगें कि आकार पत्र–23 के उद्धरण सम्मिलित खातों के प्रत्येक काश्तकार तथा अन्य सभी काश्तकारों को दे दिये जाये। चकबन्दी अधिकारी आकार पत्र–23 के अन्तिम पृष्ठ पर निम्न प्रमाण पत्र भी देंगे– "आकार पत्र–23 के उद्धरणों की कार्यालय प्रतियों की जांच करने के पश्चात मैंने यह संतोष कर लिया है कि इसके उद्धरण सभी काश्तकारों को दे दिये गये हैं और चकों की मौके पर पैमाइश कर दी गई है। अतः मैंने चकबन्दी योजना को प्रकाशित करने की अनुमति सहायक चकबन्दी अधिकारी को दे दी है"।**

इस प्रकार प्रत्येक ग्राम के विनिमय अनुपात निर्धारण एवं प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के पूर्व चकबन्दी अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त उपरोक्त आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रायः यह संज्ञान में आता है कि चकबन्दी अधिकारीगण द्वारा अपने दायित्वों का सही प्रकार से निर्वाहन नही किया जा रहा है, जिससे चकबन्दी योजना दूषित हो जाती है एवं इसका दुष्प्रभाव अंततः कृषकों पर ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में चकबन्दी अधिकारी अनिवार्य रूप से उक्त आशय की जांच कर प्रमाण–पत्र देंगे एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा भी चकबन्दी अधिकारी के कार्यों की जांच करने के उपरान्त प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा निर्गत उक्त प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रति यथास्थिति बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उप संचालक चकबन्दी तथा निदेशालय को भी प्रेषित की जायेगी। निदेशालय पर जनपदवार, ग्रामवार प्रमाण–पत्रों को संरक्षित कर समीक्षा की जायेगी। यदि किसी भी परिस्थिति में विनिमय अनुपात निर्धारण अथवा चक निर्माण की कार्यवाही के पश्चात् ग्राम की कार्यवाहियों को प्रत्यावर्तित किया जाता है तो न केवल सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी अपितु चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी भी उत्तरदायी होंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–19(1)(ङ) में यह व्यवस्था है कि **प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर जहां उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहृत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जायेः** परन्तु इसके विपरीत सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रायः कृषकों को उनकी मूल जोत से इतर **"उड़ान चक"** चक प्रदिष्ट कर दिये जाते हैं, जो उचित नही हैं। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में उड़ान चक प्रदिष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी प्रस्तावित उड़ान चकों के सम्बन्ध में ग्राम में बैठक कर उक्त आशय का प्रस्ताव चकबन्दी समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा समिति के अनुमोदनोपरान्त मूल जोत से हटाये जाने वाले खातेदार तथा वह खातेदार जिसकी मूल जोत पर चक प्रदिष्ट किया जा रहा है, दोनों की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त कर सहमति पत्र पर साक्षी के रूप में चकबन्दी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित कराना आवश्यक होगा।

उपरोक्त रीति का पालन करते हुये उचित प्रकार से विनिमय अनुपात के निर्धारण के उपरान्त ही प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत प्रकाशन से

स्थल पर निर्विरोध कब्जा परिवर्तन कराये जाने में आसानी होगी, जिससे कृषकों में चकबन्दी योजना के प्रति संतोष पैदा होगा तथा चकबन्दी योजना भी शीघ्र पूर्ण हो सकती है।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि चकबन्दी अधिकारी व उनसे उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों के कार्यों पर अंकुश नही रखा जाता है, जिससे चकबन्दी योजना दूषित हो जाती है तथा कृषकों में चकबन्दी योजना के प्रति असंतोष पैदा होता है फलस्वरूप चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा कारित अनियमितताओं के कारण ग्राम को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत प्रख्यापित कर चकबन्दी से पृथक करना पड़ता है, जिससे विभाग की छवि भी धूमिल होती है। यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सहायक चकबन्दी अधिकारी के साथ–साथ सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशानिक कार्यवाही की जायेगी तथा ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने की स्थिति में उक्त अवधि में चकबन्दी योजना पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यरत उत्तरदायी चकबन्दी प्राधिकारियों के वेतन भत्ते से की जायेगी।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं एवं उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विनिमय अनुपात निर्धारण व चक निर्माण की कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाये एवं यथानिर्देश अभिलेखों पर प्रमाण पत्र भी अंकित कर उसकी प्रतियाँ उच्चाधिकारियों एवं निदेशालय को प्रेषित की जायें। चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी समय–समय पर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विनिमय अनुपात निर्धारण एवं चक निर्माण कार्यवाही का निरीक्षण करेंगे। उक्त निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। निदेशालय द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन में की गई प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में समय–समय पर गहन समीक्षा की जायेगी।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासन स्तर से भी उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रसारित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश चन्द्रा)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।